रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2007/चैत्र 5, 1929
No. 322] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2007/CHAITRA 5, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2007

का.आ. 451(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा तटीय आयामों को तटीय विनियमन इलाकों के रूप में घोषित किया था और उक्त इलाकों में उद्योग, सक्रियाएं और प्रक्रियाएं स्थापित करने और उनके विस्तार पर प्रतिबंध अधिरोपित किए थे;

और केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाया गया है कि देश में उर्वरकों की अत्यधिक कमी के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

और भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मामले की जांच की गई है ;

और केन्द्रीय सरकार का उर्वरकों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसानों के कष्टों के मद्दे नजर यह मत है कि उक्त अधिसूचना में उर्वरकों की कमी को अनुमत करने और उर्वरकों को तैयार करने के लिए, अपेक्षित कच्ची सामग्री के लिए संशोधन करना अपेक्षित है ;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में प्रावधान है कि जब कभी भी केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि ऐसा करना लोकहित में है, वह उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा का त्याग कर सकती है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा का त्याग किया जाना लोकहित में है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है :–

1. उक्त अधिसूचना में पैरा 2 में,–

(1)(क) उप-पैरा (ii) में उपबंध के बाद निम्नलिखित उपबंध को प्रतिस्थापित किया जाए नामतः :–

"बशर्ते कि उर्वरकों को प्राप्त करने और भण्डारण तथा उर्वरकों को तैयार करने के लिए अपेक्षित सामग्री, जैसे अमोनिया, फासफोरिक एसिड, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आदि, की अनुमति क्षेत्र के उस जोन में होगी जिसे तटीय विनियम क्षेत्र 1(i) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है ।"

2 अनुबंध III में,

(क) आरम्भ में "पैट्रोलियम उत्पादों की सूची और भण्डारण के लिए अनुमत" शब्दों के लिए "पैट्रोलियम उत्पादों की सूची और भण्डारण के लिए अनुमत रसायन" शब्दों को प्रतिस्थापित् किया जाए ।

(ख) मद (xiv) के बाद निम्नलिखित मद को शामिल किया जाए, नामतः :–

"(xv) उर्वरकों को तैयार करने के लिए उर्वरक और कच्ची सामग्री ।"

[फा. सं. एच-11011/6/97-आई ए-III]

सिद्धार्थ बेहुरा, विशेष सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का.आ. 114(अ), दिनांक 19 फरवरी, 1991 के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित की गई :–

1. का.आ. 595(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1994
2. का.आ. 73(अ), दिनांक 31 जनवरी, 1997
3. का.आ. 494(अ), दिनांक 9 जुलाई, 1997
4. का.आ. 334(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1998
5. का.आ. 873(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 1998
6. का.आ. 1122(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1998
7. का.आ. 998(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 1999
8. का.आ. 730(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2000
9. का.आ. 900(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2000
10. का.आ. 329(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2001
11. का.आ. 988(अ), दिनांक 3 अक्तूबर, 2001
12. का.आ. 550(अ), दिनांक 21 मई, 2002
13. का.आ. 1100(अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 2002
14. का.आ. 52(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2003
15. का.आ. 460(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2003
16. का.आ. 635(अ), दिनांक 30 मई, 2003
17. का.आ. 636(अ), दिनांक 30 मई, 2003
18. का.आ. 563(अ), दिनांक 24 जून, 2003
19. का.आ. 838(अ), दिनांक 24 जुलाई, 2003
20. का.आ. 86(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2005

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2007

S.O. 451(E). —Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 114(E), dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared coastal stretches as Coastal Regulation Zone (CRZ) and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas it has been brought to the notice of the Central Government that due to critical shortage of fertilizers in the country the farmers are put into hardship;

And whereas the issue has been examined by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests;

And whereas the Central Government keeping in view the critical need of fertilizers in the larger interest of suffering farmers is of the opinion that the said notification requires amendment to permit storage of fertilizers and raw materials required for manufacture of fertilizers;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1), clause (v) of Sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the said notification, namely :—

1. In the said notification, in paragraph 2,—

(1)(a) in sub-paragraph (ii), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that facilities for receipt and storage of fertilizers and raw materials required for manufacture of fertilizers like ammonia, phosphoric acid, sulphur, sulphuric acid, nitric acid etc., shall be permitted within the said Zone in areas not classified as Coastal Regulation Zone-I(i)."

2. In Annexure-III,—

(a) in the beginning for the words, "List of Petroleum Products Permitted for Storage", the words "List of Petroleum Products and Chemicals Permitted for Storage" shall be substituted;

(b) after item (xiv), the follwoing item shall be inserted, namely :—

"(xv) Fertilizers and raw materials for manufacture of fertilizers."

[F. No. H-11011/6/97-IA-III]

Siddhartha Behura, Spl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 114(E), dated the 19th February, 1991 and subsequently amended *vide* notifications :—

1. S.O. 595 (E), dated 18th August, 1994
2. S.O. 73(E), dated 31st January, 1997
3. S.O. 494(E), dated 9th July, 1997
4. S.O. 334(E), dated 20th April, 1998
5. S.O. 873(E), dated 30th September, 1998
6. S.O. 1122(E), dated 29th December, 1998
7. S.O. 998(E), dated 29th September, 1999
8. S.O. 730(E), dated 4th August, 2000
9. S.O. 900(E), dated 29th September, 2000
10. S.O. 329(E), dated 12th April, 2001
11. S.O. 988(E), dated 3rd October, 2001
12. S.O. 550(E), dated 21st May, 2002
13. S.O. 1100(E), dated 19th October, 2002
14. S.O. 52 (E), dated 16th January, 2003
15. S.O. 460(E), dated 22nd April, 2003
16. S.O. 635(E), dated 30th May, 2003
17. S.O. 636(E), dated 30th May, 2003
18. S.O. 563(E), dated 24th June, 2003
19. S.O. 838(E), dated 24th July, 2003
20. S.O. 86(E), dated 25th January, 2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.